राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर

राजस्थान के समस्त सहशिक्षा व महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के

प्रथम वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में ऑन लाईन प्रवेश आवेदन पत्र भरने हेतु विवरणिका

सत्र् 2022–23

संदर्भ सूची(Index)

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया	1–2
3.	प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं	2
4.	योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी	3
5.	प्रवेश में आरक्षण श्रेणी – A (Gen/SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/MBC (Non Creamy Layer)/ EWS (Economically Weaker Section) श्रेणी – B (Priority I to IX) (For Candidates belonging to military services only as per norms) श्रेणी – C (Kashmiri Migrants (KM) / Physically Handicapped (PH)) श्रेणी – D (Widow/Divorce) श्रेणी – E (Single Mother Dependent)	3–6
6.	शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना	6
7.	प्रथम आवंटन	7
8.	रिर्पोटिंग प्रक्रिया एवं अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन	8
9.	द्वितीय आवंटन	8
10.	इन्टरनल स्लाईडिंग	8
11.	सीधे प्रवेश	9
12.	अन्य सामान्य अनुदेश–रेगिंग, नामांकन, उपस्थिति, अनुशासन, स्थानान्तरण इत्यादि	9–10
13.	छात्रावास सुविधा	11
14.	आरक्षण की तालिकाएं (सारणी–1)	12
15.	प्रवेश शुल्क (सारणी–2)	13
16.	छात्रावास शुल्क (सारणी–3)	14
17.	सीट मेट्रिक्स (सारणी –4)	

परिशिष्टों का विवरण (इनके प्रारुप एक पृथक लिंक द्वारा वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।)

I	शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारुप
II	राज्य कर्मचारी पर आश्रित भाई/बहिन के लिय`शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारुप
III	शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना के लिये आय प्रमाण पत्र का प्रारुप
IV	सैनिकों के आश्रितों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र
V	अनुसूचित जाति/जनजाति/नॉनक्रीमीलेयर अन्य पिछडा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र का प्रारुप
VI	नॉनक्रीमीलेयर सम्बन्धी शपथ पत्र का प्रारुप
VII	प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने बाबत् घोषणा पत्र का प्रारुप
VIII	नाम व उपनाम में अन्तर होने बाबत् शपथ पत्र का प्रारुप
IX	आय का घोषणा–पत्र का प्रारुप
X	एकल महिला (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/35 वर्ष से ज्यादाउम्र की अविवाहिता) /के आश्रितों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारुप
XI	**ऑनलाईन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया**

1. प्रस्तावना :

राज्य में वर्तमान में लगभग कुल 133 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी लगभग कुल प्रवेश क्षमता 27,846 विद्यार्थी हैं। इनमें से 48 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में तथा 01 केन्द्र सरकार संस्थान एवं 84 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। निजी क्षेत्र में संचालित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में से 05 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी सार्वजनिक सहभागिता योजना के अन्तर्गत संचालित हैं । जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 824 विद्यार्थी है।इन समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा दी जाती है एवं इन्हें प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयो में निम्न **इन्जीनियरिंग ब्रांचों यथा** सिविल, सिविल कन्सट्रक्शन, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मैकेनिकल (ऑटोमोबाईल), मैकेनिकल (रेफ्रीजिरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग), मैकेनिकल (प्रोडक्शन), इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स (फाईबर ऑप्टिक्स), इन्सट्रूमेन्टेशन, कमप्यूटरसाईंस, इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी, केमिकल, प्रिन्टिंग टेक्नोलोजी, प्लास्टिक टेक्नोलोजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, होटल मेनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलोजी, फैशन डिजाइनिंग आदि में 03 वर्षीय डिप्लोमा सेमेस्टर पद्धति आधरित करवाया जाता है। **''सत्र 2021–22 से 04 नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यथा मण्डोर (जोधपुर), नॉवा (नागौर), उच्चैन (भरतपुर) एवं पिलानी (झुझुंनू) प्रारम्भ किये गये है। जिनमे 07 नवोदित पाठ्यक्रम यथा साईबर फोरेन्सिक एवं इर्न्फोमेशन सिक्यूरिटी, मेकाट्रोनिक्स, ओटोमेशन एण्ड रोबोटिक्स, रिन्यूऐबल एनर्जी, सिविल एण्ड एन्वायरमेन्टल इंजी. तथा क्लाउड कम्प्यूटिंग एण्ड बिग डॅाटा ब्रांचों में प्रारम्भ किये गये है।** प्रवेश के समय विद्यार्थी के पाठ्यक्रमों का निर्धारण एवं परीक्षाओं का आयोजन प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा किया जाता है।

उक्त पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार पा सकता हैं एवं उच्च अध्ययन के लिये इन्जीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य हो जाता है। डिप्लोमा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के रोजगार के लिये इन्डस्ट्री–इन्स्टीट्यूट इन्टरेक्शन सैल के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों में केम्पस प्लेसमेंट के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। लार्सन एण्ड टर्बो, एस्सार, जे.एस.डब्ल्यू, एच.सी.एल., डेन्सो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, आयशर, होण्डा, हीरो, जे. सी.बी., सुजलोन, हिटाची, डेकन, हिरोकार्प, पोनवेल, टाटापॉवर, जे.सी.बी. बी.के.टी., वंडर, अल्ट्राटेक, बिरला, एल.एम.जे., कपारो मारुति, सुब्रो इत्यादि अनेक कम्पनियां प्लेसमेन्ट में भाग लेती हैं।

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता 35 प्रतिशत अंको के साथ दसवीं कक्षा (विज्ञान एवं गणित विषयों सहित में अलग–अलग उत्तीर्ण होते हुए) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष रखी गई है।

इस विवरणिका में सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ऑन–लाईन आवेदन करने के विस्तृत दिशा–निर्देश, प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों का समावेश किया गया है। आवेदक इस विवरणिका का भली भाँति अध्ययन कर आवेदन करें।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 23 राजकीय सह शिक्षा व महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर वह तुरन्त प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकेगा यथा संस्थानों की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि। प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य सामान्य अनुदेश निम्नानुसार है :–

2. प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया :

2.1 डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नोडल एजेन्सी, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, डब्ल्यू–6, गौरवपथ, जोधपुर (Board of Technical Education, Rajasthan, W-6, Gaurav Path, Jodhpur) है।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विभिन्न इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची (सीट मेट्रिक्स) सारणी–4 में दी गई है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। सत्र 2022–23 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों, ब्रान्च व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश स्थानों की नवीनतम जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में संस्था व ब्रान्च का कोड भरने से पूर्व अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध **नवीनतम जानकारी** प्राप्त करें। तदुपरान्त ही ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में प्रविष्टियां करें।

सत्र 2022–23 से राज्य में स्थित विभिन्न राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के आधार पर संचालित होगी। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में राज्य पोषित एवं स्व–वित्तपोषित योजना के तहत स्वीकृत स्थानों पर प्रवेश किये जा रहे है। निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रत्येक ब्रांच में 15 प्रतिशत स्थान मैनेजमेंट कोटा के अन्तर्गत आरक्षित हैं एवं इन पर प्रवेश संस्थान द्वारा ही नियमानुसार किया जाता है। निजी जन सहभागिता योजना (Public Private Partnership Policy) के तहत स्थापित संस्थानो में मैनेजमेंट कोटा नहीं है। इनमें अध्ययन हेतु दिये जाने वाले शुल्क का विवरण सारणी – 2 पर उपलब्ध है। नियमित डिप्लोम पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष की है एवं शुल्क प्रति वर्ष लिया जायेगा। पात्र अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में मिलने वाली छूट के लिये निर्धारित प्रारुप, परिशिष्ट–I एवं II पर उपलब्ध है।

2.2 आवेदन करनाः–डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को राजस्थान हायर एज्युकेशन पोर्टल **hte.rajasthan.gov.in** के **home Page** में **admission Tab** में **Deparment of Technical Education** में **Polytechnic Admission** पर आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाकर **ऑनलाईन ही आवेदन** करना होगा। आवेदन पत्र SUBMIT होने पर आवेदक को इस की सूचना ई–मेल/मैसेज से प्राप्त होगी। नाम व उपनाम में अन्तर की अवस्था में परिशिष्ट–VIII का उपयोग करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं आप्शन फार्म भरने हेतु विस्तृत प्रक्रिया इस विवरणिका में **परिशिष्ट–XI** पर उपलब्ध है। **अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आधार नम्बर प्रविष्ट कराना अनिवार्य होगा।**

3. प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :

- अभ्यर्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में (विज्ञान एवं गणित विषयों में अलग–अलग उत्तीर्ण होते हुए) न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अन्य बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्षता के निर्धारण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की अनुदेशिका–2020 (वेब साईट लिंक https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/anudeshika-etc/Anudeshika-2020.pdf के अनुसार) एवं सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली द्वारा समकक्ष निर्धारित की गई परीक्षायें ही मान्य होगी।

4. **आयु सीमा** : प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की कोई आयु सीमा नहीं है।

5. **आवेदन पत्रों की जांच** : आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों व संलग्न प्रमाण पत्रों की जांच उपरान्त आवेदक कोई–मेल/एस.एम.एस. के द्वारा आवेदन पत्र में रही कमियों से अवगत करवाया जाना प्रस्तावित हैं। कमियों में सुधार हेतु आवेदक पोर्टल पर लॉग–इन कर, सुधार हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज स्केन कर पुनः अपलोड करेगा। यदि आवेदक के प्रमाण पत्र में कमी के कारण आवेदन पत्र अपूर्ण रहता हैं तो संयोजक द्वारा वह आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।

6. **श्रेणी वार अस्थाई योग्यता सूची** : समस्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त श्रेणी वार अस्थाई योग्यता सूची जारी की जायेगी। अभ्यर्थी पोर्टल पर निर्धारित तिथि पर अपना योग्यता सूची क्रमांक देख सकता है। इसमें किसी प्रकार का संशय होने पर संशोधन हेतु ऑनलाईन प्रार्थना पत्र मय आवश्यक प्रमाण पत्र, निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकेगा। इन समस्त आपत्तियों के निराकरण उपरान्त ही प्रवेश हेतु श्रेणी वार अंतिम योग्यता सूची जारी की जायेगी। इसके पश्चात् योग्यता सूची में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

7. **योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी :**

7.1 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रक्रिया/नियमों के तहत योग्यता सूची जारी की जायेगी :
योग्यता सूची जारी करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा –

<u>प्रथम प्राथमिकता श्रेणी :</u> निम्न में से न्यूनतम एक या अधिक शर्त पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी–

(i) जिन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण की हो।

(ii) अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।

(iii) अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान/ Spouse हो ।

(iv) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के बोर्ड, कार्पोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की सन्तान/Spouse जिन का पदस्थापन राजस्थान मे स्थित कार्यालय मे हो।

<u>द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी :</u> यदि उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद भी प्रवेश स्थान रिक्त रहते हैं, तो अन्य अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

<u>प्रथम प्राथमिकता श्रेणी :</u> की श्रेणीवार योग्यता सूची जारी की जाती है तथा <u>द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी</u> के अभ्यर्थियों को इस योग्यता सूची (सामान्य श्रेणी का मानते हुए) के अन्त में स्थान दिया जाता है।

7.2 उपरोक्त प्राथमिकताओं के दृष्टिगत, योग्यता क्रमांक निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगाः–

7.2.1 योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जावेगी ।

जिन अभ्यर्थी ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/काउन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (C.I.S.C.)/ इंडियन काउन्सिल फॉर सैकण्डरी एज्यूकेशन (I.C.S.E.) से दसवीं परीक्षा पास की है, उसकी अंक तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा। माध्यमिक परीक्षा में CGPA/GPA प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको की गणना CGPA/GPA को 9.5 से गुणा करने के बाद योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा।

7.2.2 पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने अथवा अंक सुधार की स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी अंतिम अंकतालिका के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रमांक का निर्धारण किया जायेगा।

7.2.3 अगर एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत बराबर हो तब माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। अगर ये प्रतिशत अंक भी बराबर हो, तो विज्ञान में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि विज्ञान में भी प्रतिशत अंक बराबर पाये जाते हैं तो पहले जन्मतिथि (अधिक उम्र) वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। उपरोक्त सभी समान होने पर योग्यता सूची में स्थान का निर्धारण अभ्यर्थी के **नाम की** अंग्रेजी वर्णमाला (English Alphabet) के क्रमानुसार किया जायेगा। (A से Zके क्रम में)

8. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण :

सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा,

श्रेणी–A: (Gen /SC /ST / OBC (Non Creamy Layer) / MBC (Non Creamy Layer)/ EWS (Economically Weaker Section)),

श्रेणी–B: (Priority I to IX) (For Candidates belonging to military services only as per norms),

श्रेणी–C: (Kashmiri Migrants (KM) / Physically Handicapped (PH)),

श्रेणी–D: (Widow/ Divorcee) तथा

श्रेणी–E: (Single Mother Dependent)

को आवश्यक निर्धारित प्रमाणपत्र (परिशिष्ट–V) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

8.1 Category - A

कुल प्रवेश क्षमता में से अनुसूचित जाति (Scheduled Caste, SC) के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe, ST) के लिये 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) (Other Backward Class, Non-Creamy layer) को 21 प्रतिशत आरक्षण देय है। सभी वर्गो में महिला अभ्यर्थी हेतु 25 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal) देय होगा जिसका उल्लेख सारणी–1(क) में किया गया है।

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक 7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 08.03.2019 की अनुपालना में अतिपिछड़ा वर्ग (MBC) हेतु कुलप्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की **प्रारम्भिक तिथि** से एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारुप, परिशिष्ट–VI में अन्डरटेकिंग देनी होगी। प्रमाण पत्र इस अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षो तक मान्य होगा।

आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) आरक्षण :

EWS आरक्षण :

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.7(2) कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि/19/14278 दिनांक 12.03.2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(Economically Weaker Sections- EWS)** के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता की सीटों में से 10 प्रतिशत स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(Economically Weaker Sections- EWS)** के लिए प्रवेश सामान्य वर्ग की सीटों में से आरक्षित होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8.1.1 कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 01.06.2018 में वर्णित टी.एस.पी. एरिया में संशोधन के आधार पर एवं भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 में वर्णित टी.एस.पी. एरिया के अन्तर्गत संशोधन के आधार पर राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 8 जिले यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली एवं सिरोही जिले के अधिसूचित भाग को सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में निर्धारित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत

आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृत प्रवेश स्थानों पर लागू होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित 12 प्रतिशत की सीमा के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य क्षैत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेगें।

8.2 **Category - B :** भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों , सैनिकों के आश्रितों के लिये आरक्षण :

8.2.1 राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.1(47)त.शि./2007 दिनांक 18.03.08 के क्रम में रक्षा कार्मिकों के आश्रितों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)का प्रावधान किया गया हैं।

आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिशिष्ट-**IV** में दिये गये प्रारुप में आवश्यक प्रमाण पत्र एवं **Discharge certificate and Pension Payment Order** के आवश्यक 2–3 मुख पृष्ठों की स्केन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय **Discharge certificate and Pension Payment Order** की मूल एवं इसकी एक स्व–प्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक **F.No.6(1)/2017/D(Res.II) Dated May 21, 2018** के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों के आश्रितों को निम्नानुसार आरक्षण में वरियता प्रदान की जायेगी।

Priority I : Widows / Wards of Defence Personnel killed in action.

Priority II : Wards of disabled in action and boarded out from service.

Priority III : Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority IV : Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority V : Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards **:**

- **i.** Param Vir Chakra
- **ii.** Ashok Chakra
- **iii.** MahaVir Chakra
- **iv.** Kirti Chakra
- **v.** Vir Chakra
- **vi.** Shaurya Chakra
- **vii.** Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal
- **viii.** Mention-in-Despatches.

Priority VI : Wards of Ex-Servicemen

Priority VII : Wives of :

i) defence personnel disabled in action and boarded out from service.

ii) defence personneldisabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

iii) ex-servicemen and service personnel who are in receipt of Gallantry Awards.

Priority VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority IX : Wives of Serving Personnel.

8.2.2 The domicile requirement for the wards of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.

8.2.3 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilisation by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys' category.

8.2.4 बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिसकर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा ।

8.3 **Category – C : निशक्तःजन के लिये आरक्षण**

8.3.1 राज्य के **सभी** पॉलिटेक्निक संस्थानों में निःशक्त अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर उनको प्रवेश क्षमता के **चार (04)** प्रतिशत स्थानों पर योग्यता क्रमांक के आधार पर दिये जायेगे। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।

8.3.2 उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त निःशक्तजन ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं भी पूरी करते हों। निःशक्त अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं पूरी करता है अथवा नहीं, तथा वह किस ब्रान्च के योग्य है, इसका निर्णय संस्था स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रवेश के संबंध में संयोजक, प्रवेश कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

8.4 **Category - D: विधवा एवं तलाक शुदा महिला के आरक्षण के प्रावधान**

निर्धारित महिला अभ्यर्थियों के स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान विधवा और तलाक शुदा महिलाओं से भरे जायेंगे, जिनके उपलब्ध न होनेपर ये स्थान उसी वर्ग में से अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। इस हेतु शपथ पत्र प्रारूप परिशिष्ट–X (जो लागू न हो उसे काटा जावें) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

8.5 **Category - E: एकल महिला के बच्चों/आश्रितों के लिये आरक्षण के प्रावधान**

राज्य सरकार द्वारा एकल महिला (अर्थात विधवा, परित्यकता, तलाक शुदा, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिला) के बच्चों/आश्रितों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज होगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–X पर उपलब्ध है।

8.6 **पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्य (Supernumerary) स्थानों पर प्रवेश के प्रावधान :**

8.6.1 **कश्मीरी विस्थापितों/ कश्मीरी पंडित/ कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) के लिये प्रवेश स्थान**
[Seat for Kashamiri Migrants / Kashmiri Pandits/ Kashmiri Hindu Families (Non Migrants)]
5% of total intake capacity over and above the sanctioned strength in each of the institutions will be reserved for Kashamiri Migrants / Kashmiri Pandits/ Kashmiri Hindu Families (Non Migrants)]. Sons/ Daughters of displaced persons from Jammu & Kashmir shall be eligible for admission to Diploma Courses. **The candidate will submit a certificate from the competent authority as a proof of being son/daughter of displaced persons from Jammu & Kashmir.**

8.6.2 **शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (Tuition Fee Waiver Scheme) :**

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान में उपलब्ध पाठ्यक्रमों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अतिरिक्त स्थानों पर प्रवेश आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को दिया जायेगा। इस योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों को सारणी–2 (क्रम सं 2) में दर्शाये गय शिक्षण शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपय **8.00 लाख से कम होनी चाहिये।**

इस योजना का लाभ तभी दिया जायेगा जब संस्थान में संबंधित ब्रांच में प्रवेश अधिसंख्य स्थानों को सम्मिलित करते हुए पूर्ण हो जाते है। इस के अभाव में TFWS योजनान्तर्गत आवंटन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय प्रवेश के पश्चात रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के सभी चरणों के उपरान्त प्रवेश क्षमता के अनुसार पूर्ण प्रवेश हो जाने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा शाखा वार वरियता सूची के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को ही TFWS लाभ देय होगा।

इस योजना के अन्तर्गत प्रवेशित/लाभान्वित अभ्यर्थी को द्वितीय वर्ष मे ब्रान्च में परिवर्तन/द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में संस्थान स्थानान्तरण करवाता हैं तो TFWS योजना का लाभ देय नहीं होगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी अंतिम आवंटित महाविद्यालय में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिशिष्ट–III या IX में प्रस्तुत करेगा।

8.6.3 **PM Cares for Children Scheme: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी सत्र 2022–23 हेतु अनुमोदित पुस्तिका के चैप्टर VII के बिन्दु संख्या 7.54 के अनुसार :**

18 वर्ष से कम आयु के ऐसे आवेदक जिनके पास उक्त योजना के तहत जारी **PM Cares Certificate** हो, उनके लिए सभी संस्थानों की सभी ब्रांच में 02 स्थान (Supernumerary Seats) के रहेंगें। यह 02 सीट ब्रांच की प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त रहेगी तथा इस श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन्हें अन्य श्रेणी मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

9. उपरोक्त श्रेणियों की केटेगरी **B, C, D, E** तथा कश्मीरी विस्थापित श्रेणियों के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व ब्रान्च में सीट का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्पपत्र (option form) में अभ्यर्थी द्वारा भर गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटराईज ऑनलाइन पद्धति द्वारा किया जावेगा।

10. केटेगरी **B, C, D, E** तथा कश्मीरी विस्थापित श्रेणियों के अभ्यर्थियों, को सीट आवंटन हो जाने के **उपरान्त आगे की आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है।** इसके उपरान्त शेष रहे अभ्यर्थियों को इन श्रेणियों का **लाभ नहीं देते** हुए, आनलाईन आवंटन में सम्मिलित किया जाता है।

11. **प्रथम आवंटनः** Ex-S/KM/PH/WD/ Single Mother Child & dependent की ऑनलाइन सीट आंवटन के उपरान्त शेष रहे समस्त अभ्यर्थियों के लिये संस्था एवं ब्रांच का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्पपत्र (option form) में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा। यह आवंटन पूर्ण तया अन्तरिम (Provisional) होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विकल्पपत्र में प्रस्तुत विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होता हैं अर्थात choice exhausted हो जाती है, उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जायेगा।

12. प्रथम आवंटन में उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए पहले महिला अभ्यर्थियों से, महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरे जायेंगे। उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जायेंगे।

13. **रिर्पोटिंग करने की प्रक्रिया :**

प्रथम आवंटन के उपरान्त वे अभ्यर्थी जिन्हें संस्था एवं ब्रांच आवंटित होती हैं, वे नोडल सेन्टर पर निर्धारित अवधि में **अभ्यर्थी/अभिभावक** उपस्थित होकर मूल प्रमाण–पत्रों की जांच करवायेगा। साथ ही उसे प्रवेश हेतु **आंशिक शुल्क रूपये 1000/– ई–मित्र/एच.टी.ई.** के लिंक में बैंक के पोर्टल पर जमा करवाना होगा। रिर्पोटिंग के लिये अभ्यर्थी निर्धारित **33 नोडल** सेन्टर, जिनकी सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं, में से किसी भी नोडल सेन्टर पर मूल प्रमाण पत्र व शुल्क चालान के साथ रिपोर्ट कर सकेगा। रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

14. **अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना :**

प्रथम आवंटन में आवंटित स्थान से विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिया जाने की प्रकिया अपवर्ड मूवमेन्ट कहलाएगी। अतः प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को स्थान एवं ब्रांच आवंटित हो जाती हैं तथा वे उच्च विकल्प पर प्रवेश चाहते है, वे रिपोर्टिंग के उपरान्त अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु निर्धारित प्रारुप में नोडल सेन्टर पर आवेदन कर सकते है। अपवर्ड मूवमेन्ट के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः उच्च विकल्पों पर प्रवेश के लिये द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जाता है। अपवर्ड मूवमेन्ट होने पर अभ्यर्थी को पूर्व में किया गया आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा।

15. नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करते समय मूल प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान यदि उचित दस्तावेज के अभाव में अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द होता हैं, तो उसे अतिरिक्त अवसर देने के लिये द्वितीय आवंटन में संयोजक को प्रार्थना पत्र एवं सही दस्तावेज व्यक्तिशः (**अभ्यर्थी/अभिभावक**) निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने पर शेष रहे स्थानों पर सम्मिलित किया जा सकेगा।

16. **द्वितीय आवंटन** : प्रथम आवंटन की रिर्पोटिंग के पश्चात रिक्त रहे स्थानों पर choice exhausted and upward movement अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन किया जायेगा।

17. द्वितीय आवंटन उपरान्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम बार सीट आवंटन हुआ है वे रिपोर्ट करने के लिये नोडल सेन्टर पर उपस्थित होंगे। रिर्पोटिंग की प्रक्रिया प्रथम रिर्पोटिंग की भांति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के अपवर्डमूवमेन्ट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण स्थान परिवर्तित होता हैं, उन्हें सीधे ही अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना है, अन्यथा उनका प्रथम एवं द्वितीय आवंटन निरस्त हो जायेगा।

18. अंतिम महाविद्यालय में रिपोर्ट करना : – समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं ब्रांच का आवंटन हुआ है, वे अंतिम आवंटित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज एवं शेष शुल्क सहित निर्धारित अवधि में उपस्थित होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द हो जायेगा।

19. **इन्टरनल स्लाईडिंग** : संस्थान स्तर पर की जाने वाली इन्टरनल स्लाईडिंग के तहत प्रत्येक संस्थान में ऑनलाईन काउन्सलिंग के प्रथम एवं द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूण होने पर संस्थान में प्रवेशित संस्थानों की अन्तर ब्रांच परिवर्तन का अवसर दिया जायेगा। इस हेतु ब्रांच वार रिक्त रहे स्थानों की गणना कर संस्थान स्तर पर प्राप्त आवेदनों की श्रेणी वार मेरिट बनाकर इन्टरनल स्लाईडिंग की जायेगी। शेष रहे स्थानों पर सामान्य मेरिट सूची बनाकर ब्रांच परिवर्तन किया येगा। उल्लेखनीय हैं कि स्ववित्त पोषित ब्रांच में प्रवेशित अभ्यर्थी उसी संस्थान में उपलब्ध राज्य पोषित ब्रांच एवं राज्य पोषित ब्रांच अभ्यर्थी वाले स्ववित्त पोषित ब्रांच में परिवर्तन कर सकते है, लेकिन इसके लिये नियमानुसार शुल्क देय होगा।

20. **सीधे प्रवेश (Direct Admissions) :**

20.1 केन्द्रीय प्रवेश की समस्त प्रक्रिया उपरोक्तानुसार पूर्ण हो जाने के पश्चात संस्थानों में रिक्त रहे स्थानों के लिए संस्थान वार प्रवेश किये जायेगे। इस हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवा कर आवेदन की प्रक्रिया दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

20.2 उपरोक्तानुसार प्रत्येक संस्थान के लिये प्राप्त निर्धारित शुल्क (सारणी –2 के अनुसार) एवं मूल दस्तावेज संस्थान में जमा करवाने होगे। सीट आवंटन के लिये श्रेणी वार मेरिट बनाई जाकर व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवंटन किया जायेगा।

21. **अन्य सामान्य अनुदेश :**

21.1. डॉ. आर.के. राघवन की अध्यक्षता में गठित कमेटी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2007 की क्रियान्विन्ति के आदेशानुसार **रैगिंग लेना कानूनन अपराध है।** यदि कोई भी छात्र/छात्रा संस्थान, संस्थान प्रांगण, छात्रावास एवं संस्थान के बाहर रैगिंग लेते हुए पाया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा undertaking प्राप्त की जायेगी। साथ ही ऐसे छात्र/छात्राओं को संस्थान से निष्कासित करते हुए नामांकन भी निरस्त कर दिया जायेगा।

21.2. प्रवेशित अभ्यर्थियों का नामांकन प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थी को अपना प्रवजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। अतः प्रवेश के साथ ही प्रवजन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेवें, जिससे नामांकन में परेशानी ना आवे। किसी अवस्था में विलम्ब के लिये संस्थान की अनुमति से परिशिष्ट– VII में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

21.3. डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक नियमित पाठयक्रम है। अतः अभ्यर्थी को अपना अध्ययन आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर करना होगा। परीक्षा में बैठने के लिये न्यूनतम उपस्थिति प्राविधिक शिक्षा मण्डल के नियमानुसार पूर्ण करनी आवश्यक होगी।

21.4. यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले लेता है तथा अब वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम जारी नहीं रखना चाहता तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार **प्रवेश शुल्क/अवधान द्रव्य** संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार लौटाया जायेगा।

21.5. प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की मूल अंक तालिका (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) तथा आयु प्रमाण पत्र जमा कर लिये जायेंगे। ये प्रमाण पत्र छात्र/छात्रा द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद, प्रधानाचार्य से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

21.6. अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से नामांकित रहते हुए किसी अन्य मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन रख सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसका सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्रवेश अविलम्ब निरस्त कर मण्डल से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।

21.7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा मे अनुचित साधन के उपयोग के कारण मंडल द्वारा दंडित किया गया हो/ किया जाता है तो वे अभ्यर्थी नये प्रवेश के हकदार नहीं होंगे।

21.8. एक अच्छे विद्यार्थी के लिये आवश्यक अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व, उत्तर दायित्व की भावना एवं गुणों के विकास पर संस्थाओं में अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है।

21.9. यदि किसी विद्यार्थी को संस्था का अनुशासन भंग करता पाया गया अथवा उस का व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल हो तो संस्था के प्रधानाचार्य/अधिष्ठाता को उस विद्यार्थी के विरूद्ध

अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसमें प्रवेश रदद् कर संस्था से निष्कासित करना, किसी भी अवधि के लिये संस्था से निलम्बित करना, आर्थिक दंड देना या एक संस्था से दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित करने हेतु निदेशालय को अभिशंषा करना, चरित्र प्रमाणपत्र में प्रतिकूल प्रविष्टि करना आदि सम्मिलित है ।

21.10. यदि कोई विद्याथी बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्था से निरन्तर पन्द्रह दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा । कक्षा से किस भी अवधि की सामूहिक अनुपस्थिति को अनुशासन हीनता की कार्यवाही मानते हुए विद्यार्थी का नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को 200/– रूपये का **पुनः प्रवेश शुल्क** जमा करवाने एवं लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर पुनः प्रवेश, प्रधानाचाय अपने विवेकानुसार अगले दो उप सत्र तक दे सकेंगे। परन्तु विद्यार्थी को उस उप सत्र के दौरान पुनः प्रवेश दिये जाने की स्थिति में उक्त अनुपस्थिति के कारण यदि कक्षाओं में उसकी उपस्थिति कम हो जाती है और वह विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है, तो विद्यार्थी स्वयं इसके लिये उत्तरदायी होंगें। इस सम्बन्ध में संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उपरोक्तानुसार संस्थान में पुनः प्रवेश प्रधानाचार्य द्वारा नहीं दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम संस्थान से स्थायी रूप से काट दिया जावेगा।

21.11. यदि कोई विद्यार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपाकर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होन पर भी किसी कारण वश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उस का प्रवेश रदद् कर दिया जायेगा।

21.12. प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश का निर्णय अन्तिम होगा । संयोजक को यह अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर दे।

21.13. प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार, जोधपुर शहर में स्थित न्यायालय में ही होगा अन्यत्र नहीं। विवाद बिन्दु के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्मन एक माह के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

21.14. विद्यार्थी संबंधित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पढ़ाई के वर्षों में संस्था के समय में किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं कर सकेगा।

21.15 विद्यार्थी पर प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपस्थिति, परीक्षा, अगले सेमेस्टर में रजिट्रेशन आदि हेतु मण्डल के दिशा निर्देश लागू होंगे जिसकी प्रति उसे प्रवेश के समय दी जायेगी।

21.16 **ब्रांच परिर्वतन एवं स्थानान्तरण :**

21.16.1 समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में द्वितीय वर्ष में ब्रांच परिवर्तन छात्र/छात्रा के प्रथम वर्ष के **सभी विषयों में उत्तीर्ण** होने एवं **स्थान रिक्त होने पर** संभव होंगे। स्वःवित्त पोषित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों का ब्रान्च परिवर्तन उसी संस्थान के स्वःवित्त पोषित पाठ्यक्रम में किया जा सकेगा। ये ब्रांच परिवर्तन संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम वर्ष **(द्वितीय सेमेस्टर)** के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात निर्धारित तिथि तक किये जावेंगे तथा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा अनुमोदित होने पर ही मान्य होंगे।

21.16.2 द्वितीय वर्ष में ब्रांच परिवर्तन एवं अन्य संस्था में स्थानान्तरण दोनों साथ–साथ नहीं होंगे।

21.16.3 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में द्वितीय/तृतीय वर्ष में राज्य सरकार की नीति के अनुसार स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

22. छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क :

22.1 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यथा जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर व श्रीगंगानगर एवं महिला पॉलिटेक्निक अजमेर व बीकानेर में विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है। **उल्लेखनीय है कि सी.एस.एस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 18 सह–शिक्षा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में भी छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।**

22.2 छात्रावास में प्रवेश हेतु सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उपस्थिति के समय, प्रधानाचार्य द्वारा आवंटन संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को **सारणी–3** में दिये गये शुल्क की पहली किश्त जमा करानी होगी। द्वितीय किश्त प्रधानाचार्य द्वारा सूचित तिथियों को जमा करानी होगी।

22.3 छात्रावास का अवधान द्रव्य व मैस अग्रिम राशि के अतिरिक्त जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी ।

22.4 निजी एवं निजी सहभागिता योजना अन्तर्गत स्थापित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्रावास सुविधा की उपलब्धता व छात्रावास शुल्क के संबंध में संबंधित संस्था से सम्पर्क करें।

सारणी 1:—विभिन्न वर्गो में आरक्षण हेतु सारणियाँ

सारणी—1(क) सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%		अनुसूचित जनजाति (ST) 12%		नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC) 21%		अति पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer MBC) 5%		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section EWS) 10% *		सामान्य अभ्यर्थी (General)	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
20	02	01	02	--	03	01	01	--	01	01	06	02
30	04	01	03	01	04	02	01	01	02	01	08	02
40	04	02	04	01	06	02	01	01	03	01	11	04
60	08	02	05	02	10	03	02	01	04	02	16	05

सारणी—1(ख) महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%	अनुसूचित जनजाति (ST) 12%	नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC) 21%	अतिपिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer MBC) 5%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section EWS)10% *	सामान्य अभ्यर्थी (General)
20	03	02	04	01	02	08
30	05	04	06	02	03	10
40	06	05	08	02	04	15
60	10	07	13	03	06	21

सारणी—1(ग) निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%		अनुसूचित जनजाति (ST) 12%		नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC) 21%		अति पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer MBC) 5%		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section EWS) 10% *		सामान्य अभ्यर्थी (General)		मैनेजमेन्ट सीट (संस्था स्तर पर प्रवेश)
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	
60 (51+9)	06	02	04	02	08	03	02	01	03	02	14	04	09

* कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.7(2)कार्मिक / क—2 / 2019 दिनांक 29.03.2019 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11() / आ.क.व. / डीडीबीसी / सान्याअवि / 19 / 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं AICTE द्वारा प्राप्त E.O.A. की अनुपालना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(Economically Weaker Sections- EWS)** के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता से 10 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश सामान्य वर्ग की सीटों में से आरक्षित होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सारणी–2 : प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क (रुपयों में)

क्र. सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस		राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस	
		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरीमें	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरीमें
1.	**राजकीय खाता :** प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	--	200	--
2.	शिक्षण शुल्क	--	4150	-	--
3.	**अराजकीय खाता :** अवधानद्रव्य (**पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार**)	1000	--	500	--
4.	विविध मद {परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय,बीमा शुल्क}	500	500	500	500
5.	पुस्तकालय खुलीपुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	--	1000	500	500
6.	विद्यार्थीक्लब / विद्यार्थीसभा शुल्क	250	250	250	250
7.	खेलकूद शुल्क	250	250	250	250
8.	विकास शुल्क	2075	2075	2075	2075
	कुल	4275	8225	4275	3575
	कुल		**12500**		**7850**

मद	निजी संस्था, निजी जन सहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त **नवम्बर** में
शिक्षण शुल्क	11000	11000
अवधानद्रव्य (**पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार**)	7500	-
विकास शुल्क	4400	4400
कुल	22900	15400
कुल		**38300**

* **राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजिनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला / राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।**

नोट :

1. उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है । यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
2. निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
3. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
4. अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे।
5. सीट–आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार अंकित शुल्क में से केवल आंशिक शुल्क रू. 1000 / – (प्रक्रिया शुल्क) जमा करवाना होगा तथा शेष शुल्क राशि नकद / बैंक गेटवे से अंतिम आवंटित महाविद्यालय में जमा करानी होगी।
6. विभिन्न प्रावधानों के तहत शिक्षण शुल्क में छूट के लिये आवश्यकतानुसार परिशिष्टि–I एवं II प्रस्तुत करें।

सारणी–3 : छात्रावास शुल्क

क्र.सं.	मद		राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान	
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
1	2		3	4
1.	कमरे का किराया		(क) राजकीय खाता	
		01 सीटेड	800	800
		02 सीटेड	500	500
		03 सीटेड	300	300
		04 सीटेड	–	–
2.	छात्रावास का अवधान द्रव्य		(ख) अराजकीय खाता	
			2000	–
3.	छात्रावास मैस खर्च अग्रिम धन		1000	–
4.	छात्रावास मैस सिक्यूरिटी		–	–
5.	पानी के खर्च का शुल्क		*	*
6.	बिजली के खर्च का शुल्क		*	*
7.	सामान्य कोष्ठ शुल्क		500	500
8.	उपकरण व बर्तनों की मरम्मत एवं खरीद शुल्क		800	800

*बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशि को सभी छात्रों मे समान रूप से बांटकर वसूल किया जायेगा।

नोटः

उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। अतः जमा कराई जाने वाली फीस व छात्रावास सुविधा के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्त करें।